संगीता शर्मा बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य
(विनय मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति)

समक्ष एच.एस. बेदी और विनय मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति

संगीता शर्मा — याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य — प्रतिवादी

CWP No. 10456 / CAT / 2004

21 मार्च, 2005

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 — याचिकाकर्ता की संविदा के आधार पर प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति — विभाग द्वारा उसे लगभग 6 साल की सेवा के बाद भारमुक्त करना — ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को तब तक सेवा में जारी रखने की अनुमति दी जब तक वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्तियाँ नहीं होती — याचिकाकर्ता द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेश के निष्पादन की मांग- प्रतिवादियों का दावा कि रिक्त स्थान भरने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था — ट्रिब्यूनल द्वारा निष्पादन आवेदन खारिज — चुनौती — क्या न्यायालय एक नियोक्ता को केवल इसलिए किसी पद को भरने के लिए निर्देशित कर सकता है कि पद खाली पड़ा है — निर्धारित, नहीं — यदि विभाग कुछ रिक्तियों को नहीं भरने का फैसला करता है, उक्त रिक्तियों पर संविदा के आधार पर काम कर रहे व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है की नियमित रूप से नियुक्ति होने तक तक जारी रहें — विभाग द्वारा संविदा के आधार पर 'गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स' के नाम से नयी नियुक्ति करना — पहले से नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर दोबारा संविदा के आधार पर ही और व्यक्तियों की नियुक्ति करने की अनुमति नहीं- यह प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति में संभव हो सकती है जहां किसी स्थायी कर्मचारी के अवकाश के कारण कोई विशेष रिक्ति उत्तपन्न होती है।

निर्धारित, याचिकाकर्ता द्वारा किए गये आवेदन को ट्रिब्यूनल के 26 सितंबर, 2003 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गये दावे को दिनांक 26 सितंबर, 2003 को ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूरी दी गई थी। प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया रुख यह है कि प्रशासन ने खाली पड़े तीन पदों को न भरने का फैसला लिया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी जा सकती। 26 सितंबर,2003 को विद्वत् न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में निहित निर्देश केवल एक स्थिति में ही सही ठहराया जा सकता है जहां विभाग के पास पद खाली पड़े हुए हैं और जहां विभाग उपरोक्त रिक्तियों को भरना चाहता है। केवल इन उपरोक्त परिस्थितियों में विभाग का याचिकाकर्ता और सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को तब तक सेवा में जारी रखने का दायित्व बनता है, जब तक नियमित चयनित व्यक्ति अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते। हालाँकि, जहां विभाग कुछ रिक्तियों को न भरने का निर्णय लेता है, उपरोक्त रिक्तियों पर संविदा के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों के पास यह अधिकार नहीं है की वह नियमित चयनित व्यक्तियों के कार्यभार ग्रहण करने तक सेवा में बने रहें ।

(पैरा 7)

निर्धारित, हमारे विचार में याचिकाकर्ता द्वारा "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति के खिलाफ की गई शिकायत सही है । प्रतिवादियों को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स "का नाम देकर पहले से नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर दोबारा संविदा के आधार पर ही और व्यक्तियों की नियुक्ति करे । यह प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति में ही संभव हो सकती है जहां किसी स्थायी कर्मचारी के अवकाश के कारण कोई विशेष रिक्ति उत्तपन्न होती है या शैक्षिक सत्र के दौरान और कोई समान परिस्थिति

उत्पन्न होती है । हालांकि, पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा सत्र की शुरुआत में ही "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(पैरा 10)

श्री आर. के शर्मा, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता,

श्री संजीव शर्मा, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

श्री विनय मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति

(1) इस आदेश के द्वारा हम दो सिविल रिट याचिलाओं 10456 / CAT और 13225 /CAT of 2004 पर एक साथ निर्णय देंगे क्योंकि दोनों याचिकाओं में सामान्य क़ानून एवं तथ्यों के प्रश्न शामिल हैं। सुविधा के लिए, तथ्य C.W.P. नंबर 10456 / CAT of 2004 से लिए जा रहे हैं।

(2) प्रार्थी संगीता शर्मा को प्रारंभ में संविदा आधार पर समाजशास्त्र में प्राध्यापक के रूप में चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेज, सेक्टर-11 में नियुक्त किया गया था। उनकी प्रारंभिक नियुक्ति 6 मार्च, 1996 से 20 मार्च, 1996 तक के लिए थी। बाद में उन्हें फिर से संविदा आधार पर एक निर्धारित वेतन के साथ 7 फरवरी, 1997 से नियुक्त किया गया था और उन्हें 6 मार्च, 2003 को भारमुक्त कर दिया गया था। प्रार्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के माध्यम से OA No. 207/CH/2003 में यह

दावा किया कि उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त करने वाले 6 मार्च, 2003 के आदेश को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि यह डॉ सतिंदरजीत कौर के मामले में 16 मार्च, 1998 के न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन था। उन्होंने एक और प्रार्थना की कि प्रतिवादी उन्हें संविदा आधार पर समाजशास्त्र में प्राध्यापक के रूप में तब तक सेवा जारी रखने की अनुमति दें जब तक सभी रिक्त पद नियमित आधार पर ना भर जायें और उन्हें अनुपमा भारद्वाज के मामले में समान रूप से नियुक्त कर्मचारियों को न्यायालय के आधेशानुसार दिये गये न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाये ।

(3) प्रतिवादियों ने प्रार्थी के दावे का जवाब दिया। प्रतिवादियों ने दावा किया कि समाजशास्त्र में प्राध्यापकों की नियुक्तियाँ नियमित रूप से हो रही थीं। विद्वत न्यायाधिकरण ने–दिनांक 26 सितंबर, 2003 को जारी आदेश में प्रार्थी के आवेदन को मंजूरी दी। विद्वत न्यायाधिकरण के निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा निम्नलिखित है:

> "8. *न्याय के हित में, जब तक विधिक नियमों के अनुसार चयनित प्राध्यापक नियुक्त नहीं हो जाते, आवेदक को किसी भी चार लड़कियों के कॉलेज में जहां समाजशास्त्र में एक प्राध्यापक की आवश्यकता थी, रिक्त पदों में से किसी एक कॉलेज में संविदा आधार पर समाजशास्त्र में प्राध्यापक के पद पर अपना काम जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। क्योंकि 6 मार्च, 2003 को कई रिक्तियाँ अभी भी खाली थी, आवेदक को उनमें से एक पद देना चाहिए था। प्रतिवादियों द्वारा श्रीमती नीलू कंग की नियुक्ति होने पर प्रार्थी को भार मुक्त करना एक गंभीर त्रुटि है और यह स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। प्रतिवादियों ने अपने इस अवैध कृत्य को जायज ठहराने के लिए छल-कपट का सहारा लिया है।*

9. इसके परिणामस्वरूप निर्णय प्रार्थी के हक़ में होता है।आवेदक पूरे समय नौकरी में जारी मानी जाएगी और 6 मार्च, 2003 का आदेश मान्य नहीं होगा। और जब तक किसी भी कॉलेज में कोई रिक्ति नहीं होगी, तब तक प्रार्थी संविदा पर नौकरी में मानी जाएगी ।वह 6 मार्च, 2003 से आगे के वेतन की हक़दार होगी और इसमें छुट्टी का भी वेतन शामिल होगा। आवेदक को भुगतान की जाने वाली वेतन की राशि नियमित रूप से नियुक्त प्राध्यापकों के लिए स्वीकार्य वैधानिक नियमों के अनुसार होगी । हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपलब्ध रिक्तियों को विधिक नियमों के अनुसार भर दिया जाता है, तो आवेदक की संविदा आधार पर नियुक्ति समाप्त हो जाएगी।"

(4) इसके बाद याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल में एक विविध / निष्पादन आवेदन दायर किया। उसने यह दावा किया कि 6 सितंबर, 2003 के आदेश के परिणामी लाभों के अनुसार उसके बकाये का भुगतान उसे नहीं किया गया था और रिक्तियाँ होने के बावजूद भी 17 जनवरी, 2004 को उसे भारमुक्त कर दिया गया । विद्वत न्यायाधिकरण ने आवेदक को उस समय की रिक्तियों के बारे में स्पष्टता से बताने का निर्देश दिया, जो उसके अनुसार मौजूद थी। आवेदक ने उस आदेश की पालना करते हुए एक शपथपत्र दायर किया । हालांकि, प्रतिवादियों ने यह दावा किया कि उपर्युक्त तीन रिक्तियाँ जो अभी भी मौजूद हैं को भरने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । विद्वत न्यायाधिकरण ने दिनांक 28 अप्रैल, 2004 के आदेश में प्रार्थी द्वारा दायर किए गये उपर्युक्त विविध / निष्पादन आवेदन को खारिज कर दिया। 28 अप्रैल, 2004 के आदेश का संबंधित हिस्सा निम्नलिखित है:

"5*. इस तथ्य के बावजूद कि विभाग में कुछ रिक्तियां हैं जिसमें आवेदक को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, हम यह पाते हैं कि प्रार्थी के पास इन कारणों से प्रतिवादियों को*

बाध्य करने का कानूनी अधिकार नहीं है, सबसे पहले इस कारण से कि प्रतिवादियों ने किसी ख़ाली पद को नहीं भरने का निर्णय लिया है और दूसरा वैधानिक नियमों के अनुसार चुने गये प्राध्यापकों की नियुक्ति के बाद संविदा पर चुने गये आवेदकों को शिक्षक के रूप में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक ने ऐसी कोई दलील नहीं दी कि उससे कनिष्ठ संविदा पर चुने गये प्राध्यापकों की नौकरी पक्की कर दी गई थी । यह न्यायाधिकरण प्रतिवादी विभाग के प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।यह स्पष्ट है कि आवेदक को संविदा आधार पर नियुक्ति मिली थी। उसकी नियुक्ति 17 जनवरी, 2004 को समाप्त हो गई थी जब नियमित रूप से नियुक्त प्राध्यापक जुड़ गए। आवेदक की नियुक्ति इसी दिन समाप्त हो गई थी और उसकी संविदा आधार पर नियुक्ति समाप्त हो गई थी। न्यायाधिकरण प्रतिवादी को ऐसा आदेश नहीं दे सकता कि वह आवेदक को मौजूद रिक्तियों में नियुक्ति करे और खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिक्तियों को संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करना होगा। आवेदक को 17 जनवरी, 2004 तक के वेतन और भत्ते का भुगतान किया गया है।"

6. विविध आवेदन में कोई गुण और तत्त्व नहीं पाए गए और इसे बिना किसी लागत के खारिज किया जाता है।

(5) याचिकाकर्ता ने 28 अप्रैल, 2004 के आदेश को वर्तमान सिविल रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है ।

(6)हमने प्रार्थी के वकील श्री आर. के. शर्मा और प्रतिवादियों के वकील श्री संजीव शर्मा को सुना और उनकी सहायता से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ों का अवलोकन भी किया है ।

(7) यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गये दावे को दिनांक 26 सितंबर, 2003 को ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूरी दी गई थी। प्रतिवादियों

द्वारा अपनाया गया रुख़ यह है कि प्रशासन ने खाली पड़े तीन पदों को न भरने का फैसला लिया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी जा सकती। 26 सितंबर,2003 को विद्वत् न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में निहित निर्देश केवल एक स्थिति में ही सही ठहराया जा सकता है जहां विभाग के पास पद खाली पड़े हुए हैं और जहां विभाग उपरोक्त रिक्तियों को भरना चाहता है। केवल इन उपरोक्त परिस्थितियों में विभाग का याचिकाकर्ता और सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को तब तक सेवा में जारी रखने का दायित्व बनता है, जब तक नियमित चयनित व्यक्ति अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते। हालाँकि, जहां विभाग कुछ रिक्तियों को न भरने का निर्णय लेता है, उपरोक्त रिक्तियों पर संविदा के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों के पास यह अधिकार नहीं है की वह नियमित चयनित व्यक्तियों के कार्यभार ग्रहण करने तक सेवा में बने रहें ।

(8) श्री आर.के. शर्मा, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के दावों को अस्वीकार करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने एक योजना बनायी है जिसमें वह नये व्यक्तियों को नियुक्त करके उन्हें "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " के रूप में बतौर कार्यरत कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक ओर प्रार्थी और सामान्य रूप से स्थित व्यक्तियों की सेवाएं इस कारण से जारी नहीं रखी जा रही हैं क्योंकि रिक्तियाँ नियमित आधार पर भरी नहीं जाएंगी, लेकिन दूसरी ओर नयी नियुक्तियाँ "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " के रूप में संविदा आधार पर हो रही हैं।

(9) प्रशासन के विद्वान वकील श्री संजीव शर्मा ने उक्त तथ्यों का खंडन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यह बताया कि "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " के रूप में नियुक्तियाँ केवल शैक्षणिक सत्र के बीच में होने वाली कुछ रिक्तियों के कारण विभाग को उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए है ।

(10) हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को बहुत ध्यान से सुना है और उनकी दलीलों पर गहन विचार किया है । हमारे विचार में याचिकाकर्ता द्वारा "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति के खिलाफ की गई शिकायत सही है । प्रतिवादियों को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स "का नाम देकर पहले से नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर दोबारा संविदा के आधार पर ही और व्यक्तियों की नियुक्ति करे। यह प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति में संभव हो सकती है जहां किसी स्थायी कर्मचारी के अवकाश के कारण कोई विशेष रिक्ति उत्तपन्न होती है या शैक्षिक सत्र के दौरान और कोई समान परिस्थिति उत्पन्न होती है । हालांकि, पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा सत्र की शुरुआत में "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए इस हद तक प्रार्थी द्वारा किया गया दावा पूरी तरह से उचित है। इसके अलावा, हमने यह भी देखा है कि 26 सितंबर, 2003 के आदेश में विद्वत् न्यायाधिकरण ने खुद ही निर्देश दिया था कि संविदा आधार पर पहले से कार्यरत कर्मचारी को दोबारा संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी से बदला नहीं जा सकता। उक्त आदेश को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई है और वह निर्णय अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।

(11) इस प्रकार, इन याचिकाओं पर यह निर्णय किया जाता है और यह निर्देश दिए जाते हैं कि जब तक नियमित आधार पर चयनित व्यक्ति नहीं नियुक्त होते हैं, तब तक संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को जारी रखा जाये। ऐसी स्थिति में जहां नियमित आधार पर रिक्तियों को ना भरने का निर्णय लिया गया है, प्रशासन के पास संविधा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को जारी नहीं रखने का विकल्प है। हालांकि, ऐसी स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, ऐसी स्थिति में जब शैक्षिक सत्र के दौरान अचानक कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो इस स्थिति में प्रशासन को "गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स " की तात्कालिक व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस स्थिति में सभी पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे, और इस तरह की स्थिति में प्रार्थी को भी ऐसी नियुक्तियों के लिए विचार में लिया जाएगा। क्योंकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र अब समाप्त होने वाला है, इसलिए यदि इस शैक्षिक सत्र के लिए किसी "गेस्ट फैकल्टी मेंबर " को नियुक्त किया गया हो, तो छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें जारी रखा जाएगा। हालांकि, इन निर्देशों का आगामी सत्रों के लिए सख्ती से पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा